

मध्य प्रदेश शासन,  
वन विभाग,  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक            अप्रैल, 2012.

क्रमांक एफ 30-8-2002-दस-3, मध्य प्रदेश अभिवहन (वनोपज), 2000 के नियम-3 के परन्तुक के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-8-2002-दस-3, दिनांक 16 मई 2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

## संशोधन

उक्त अधिसूचना में :-

- (1) प्रविष्टि (ग्यारह) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :-

“(बारह) खमेर-मेलिना अरबोरिया”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

व्ही.एन. पाण्डे  
सचिव

भोपाल, दिनांक ..... अप्रैल 2012

क्र. एफ-30-8-2002-दस-3 - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-8-2002-दस-3 दिनांक .....अप्रैल 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

व्ही.एन. पाण्डे  
सचिव

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH  
Forest Department

**NOTIFICATION**

Bhopal, Dated \_\_\_ April 2012

No. F-30-8-2002-X-3 - In exercise of the powers conferred by clause (b) of proviso to rule 3 of the Madhya Pradesh Transit (Forest produce) Rules, 2000, the State Government, hereby, makes the following amendments in this Department's Notification No. F-30-8-2002-X-3 dated 16th May, 2005, namely :-

**AMENDMENT**

In the said Notification-

(1) After entry (xi), the following entry shall be inserted, namely:-

"(xii) Khamer-Gmelina-arborea"

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh

**(V.N. Pandey)**

Secretary

Government of M.P. Forest Department